बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक– /2026

संख्या–1/स्था0 (14) 11/2023–5579/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–22144/2014 में दिनांक–19.08.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के पत्रांक–823, दिनांक–02.09.2026 के द्वारा डॉ0 प्रकाश चन्द्र हिमांशु, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जहानाबाद को सहायक प्राध्यापक (पशु पोषण), डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में योगदान देने का निदेश दिया गया है। उक्त के आलोक में डॉ0 हिमांशु द्वारा कार्यमुक्त/विरमित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः डॉ0 प्रकाश चन्द्र हिमांशु, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जहानाबाद को डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक (पशु पोषण) के पद पर योगदान देने हेतु उनके द्वारा धारित पद के प्रभार परित्याग की तिथि से कार्यमुक्त करते हुए विरमित किया जाता है।

2. डॉ0 हिमांशु के विरमित होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्त्तों के अधीन डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग अन्तर्गत इनके द्वारा की गयी सेवा अवधि का देना/पावना के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(नीरज कुमार देवनाथ)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (14) 11/2023– /पटना–15, दिनांक– /2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (14) 11/2023– /पटना–15, दिनांक– /2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, मगध क्षेत्र, गया जी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डॉ0 प्रकाश चन्द्र हिमांशु, सहायक कुक्कुट पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–1/स्था0 (14) 11/2023–5580 /पटना–15, दिनांक– 14/10/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0 प्रबंधक, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई–मेल के माध्यम से सूचित करने हेतु प्रेषित।

14.10.

सरकार के अवर सचिव।